**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 373**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**नौसैनिक वैकल्पिक अभियान आधार स्थल**

**(ए.ओ.बी.) की स्थापना के कारण लोगों**

**का विस्थापन**

**\*373. श्री वि. विजयसाई रेड्डी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में नौसैनिक वैकल्पिक अभियान आधार स्थल की स्थापना कब की गई थी ;
2. क्या यह सच है कि उपर्युक्त परियोजना के कारण चार गांव प्रभावित हुए हैं ;
3. यदि हां, तो विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु दिए गए आश्वासनों तथा उनके कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है ;
4. क्या यह सच है कि मंत्रालय ने विस्थापितों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के अलावा, दो जेटी के निर्माण, पात्र युवाओं को रोज़गार, केन्द्रीय विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान किए जाने का आश्वासन दिया था ; और
5. प्रभावित गांव वालों को दिए गए आश्वासनों संबंधी स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**नौसैनिक वैकल्पिक अभियान आधार स्थल (ए.ओ.बी.) की स्थापना के कारण लोगों के विस्थापन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न सं. 373 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क): वैकल्पिक आपरेटिंग बेस की स्थापना हेतु स्वीकृति 06.02.2009 को प्रदान की गई थी ।

(ख): जी, हां ।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण हेतु मार्च, 2005 से दिसंबर, 2017 तक आन्ध्र प्रदेश सरकार को 103.005 करोड़ रुपए की कुल पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन (आरएंडआर) प्रतिपूर्ति सहित भूमि (4636.71 एकड़) की लागत हेतु कुल 189.535 करोड़ रुपए का भुगतान किया है । 374 परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) का पुनर्वास किया गया है और एक वाटर टावर, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत घर और अन्य मूलभूत सुविधाओं सहित मैटेलिक रोड, बिजली, जल के साथ-साथ पक्के घरों की व्यवस्था की गई है । शेष 33 परिवारों को उनके अनुरोध के अनुसार घरों का आबंटन किया गया था । 2733 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) हेतु प्रतिपूर्ति को आन्ध्र प्रदेश सरकार को किए गए भुगतान में भी शामिल किया गया था ।

अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण, आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों के परामर्श से भूमि लागत और आरएंडआर पैकेज का निर्धारण करने हेतु एक बोर्ड का गठन किया गया है ।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*\*\*